क्रम-संख्या–178 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर, 2024

आश्विन 18, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–1

———

संख्या 1184/तीस-1–2024-30-1099-1949-2019

लखनऊ, 10 अक्टूबर, 2024

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–55

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 64 सन् 1950) की धारा 45 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) विनियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 84–क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) विनियमावली, 1998 में, विनियम 84 के पश्चात निम्नलिखित नया विनियम 84–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

''सेवानिवृत्ति पर कार्यवाही

84–क (1) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी सेवानिवृत्ति अधिकारी जिसने निगम हितों के विरूद्ध कार्य किया हो या निगम को वित्तीय हानि पहुँचाई हो, के सेवानिवृत्तक देयकों से या आय के किसी अन्य शीर्षक से वसूल करने की शक्ति होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन या उसके आंशिक भाग (पेंशन योग्य पदों के मामले में) को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये रोकने या वापस लेने की शक्ति होगी और उसे ऐसे सेवानिवृत्ति अधिकारी द्वारा निगम को हुए किसी धनीय हानि की सम्पूर्ण या आंशिक भाग की उसकी पेंशन से वसूली करने का आदेश दिये जाने का भी अधिकार होगाः

परन्तु यह कि यदि निगम को हुई वित्तीय हानि की वसूली पूर्वोक्त प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हो पाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी निगम को हुई हानि की वसूली के लिए, स्वविवेक से सिविल न्यायालय या अन्यथा से सम्पर्क कर सकता है।

(3) ऐसी विभागीय कार्यवाही, अधिकारी के, सेवानिवृत्ति से पूर्व अथवा पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए यदि संस्थित नहीं हुई, तो, –

(क) अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम (यू०पी०एस०आर०टी०सी०) के अनुमोदन के पश्चात संस्थित की जायेगी;

(ख) ऐसी घटना के लिए संस्थित की जायेगी जो ऐसी कार्यवाही के संस्थित किये जाने से चार वर्ष पूर्व की न हो।

(4) सेवानिवृत्ति पर किसी भी लम्बित कार्यवाही को सेवानिवृत्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है तो अतिरिक्त अवधि हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू०पी०एस०आर०टी०सी०) का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(5) सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थित की गयी कार्यवाही ऐसी कार्यवाही के संस्थित किये जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है तो अतिरिक्त अवधि हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू०पी०एस०आर०टी०सी०) का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(6) इस विनियम के अधीन दण्डित किसी अधिकारी को, आदेश के विरुद्ध, अपील करने का अधिकार वही होगा जो कार्यरत अधिकारियों को है। अपील की प्रक्रिया वही होगी जो कार्यरत अधिकारियों के लिए है।''

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1184/XXX-1–2024-30-1099-1949-2019, dated October 10, 2024:

No. 1184/XXX-1–2024-30-1099-1949-2019

Dated Lucknow, October 10, 2024

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 45 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (Act no. 64 of 1950) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 21 of 1897), the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, with the previous sanction of the State Government, is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Officers' Service (General) Regulations, 1998, namely:-

THE UTTAR PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION OFFICERS' SERVICE (GENERAL) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Officers' Service (General) (Second Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Insertion of regulation 84-A

2. In the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Officers' Service (General) Regulations, 1998, *after* regulation 84 the following new regulation 84-A shall be *inserted*, namely:-

"Proceedings on retirement

84-A (1) The Appointing Authority shall have the power to recover from retiral dues or from any other head of income of a retired officer, who has acted against the interests of the Corporation or caused financial loss to the Corporation.

(2) The Appointing Authority shall have the power to withhold or withdraw the pension or any part thereof (in case of pensionable posts) of such retired officer, whether permanently or for a specified period, and it shall also have the right of ordering recovery of the whole or a part of any pecuniary loss caused to the Corporation by such retired officer from his pension:

Provided that if the financial loss caused to the Corporation is not recovered through the aforesaid process, then the Appointing Authority may, in its discretion, approach the Civil Court or otherwise for the recovery of losses caused to the Corporation.

(3) Such departmental proceedings, if not instituted while the officer was on duty, either before retirement or during re-employment, -

(a) shall be instituted only after the approval of the Chairman, Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC);

(b) shall be in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceedings.

(4) It shall be mandatory to complete any pending proceeding on retirement within three months from the date of retirement. If for any reason, the proceedings are not completed within three months, then the approval of Chairman of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) shall be necessary for additional time.

(5) It shall be mandatory to complete the proceedings initiated after retirement within three months from the date of institution of such proceedings. If for any reason, the proceedings are not completed within three months then the approval of Chairman of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) shall be necessary for additional time.

(6) An officer punished under this regulation shall have the same right of appeal, against the order, as that of the serving officers. The process of appeal shall be same as that for the serving officers."

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 292 राजपत्र–2024–(746)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 परिवहन–2024–(747)–100 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।